

Therun 9/5/25

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पटना, दिनांक:- 30.4.25

पत्रांक:- गु0अ0-1/निविदा-07-44/2025 684

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSM)
योजनान्तर्गत Pkg.N0.- RRSMP/24-25 Danapur/02 (टेन्डर आई0डी0-139403)
पुननिर्माण/उन्नयन/नवीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य के निविदा के वित्तीय बीड
संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 553 अनु0 दिनांक-19.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, द
प्रमंडल, दानापुर के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत Pkg.N0.- RRSMP/
25 Danapur/02 (टेन्डर आई0डी0-139403) का पुननिर्माण/उन्नयन/नवीकरण तथा संचा
एवं प्रबंधन कार्य आपके एवं कार्यपालक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर के अनुशंसा पर
सफल न्यूनतम दर निविदाकार MAA SHYAMPATI CONSTRUCTION (Bid ID-609339)
उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -15.66 (पंद्रह दशमलव छः छः) प्रतिशत
पर अर्थात् 7,04,68,493.00 (सात करोड़ चार लाख अड़सठ हजार चार सौ तिरान्वे) रुपये न
आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना के
गु0अ0-(अ0उ0)-4515-01-791/2025-1497 अनु0 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा विभागीय नि
समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

1. कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व आप स्वयं अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्ष
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गए
से संबंधित एन0एस0सी0/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन
डाकधर/बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन
एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया
जो एकरारनामा का अंश होगा।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है
कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, विहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वी
प्रावधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग हो
विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. एकरारनामा के सगरे प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं
कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सर
की उपलब्धता एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं
स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

31/4/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दानापुर
23/6/25

10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
11. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाये।
12. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
13. सफल संवेदक के साथ शीघ्रातिशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सकें।
14. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) से विकलित होगा।
15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
16. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियंता से परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः करा ले एवं स्वयं भी आश्वस्त हो ले।
17. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगे।
18. यदि सफल निविदादाता विभाग में नियुक्त नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत नियुक्त कराना आवश्यक होगा।
19. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
20. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है।
21. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।
22. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जाँच कर लेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ यंत्र-संयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी आश्वस्त हो लेंगे।
24. विभागीय पत्रांक 14/अप्रो-03-21/2021-489 अनु० पटना दिनांक 28.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर को तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना अभिलेख हेतु उपलब्ध कर दें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-1 (पटना)

पटना, दिनांक:- 30.4.21

ज्ञापांक:- 684

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-1 (पटना)

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दानापुर